



राजिरत्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०—११/२०११—१३

लाइसेन्स नं पोर्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 6 अगस्त, 2014

श्रावण 15, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग—१३

संख्या 495 / एक-१३-२०१४-७क(८)-२०१४

लखनऊ, 6 अगस्त, 2014

अधिसूचना

विविध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उथित प्रतिकर्ता और पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों को उनकी अपनी—अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर “पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त” के रूप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
केंद्रीय अधिकारिया,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 495/I-13-2014-7ka(8)-2014, dated August 6, 2014:

No. 495/I-13-2014-7ka(8)-2014

Dated Lucknow, August 6, 2014

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint all Divisional Commissioners of Uttar Pradesh as “Commissioner for Rehabilitation and Resettlement” within their respective territorial jurisdiction.

By order,
K. S. ATORIA,
Pramukh Sachiv.